

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-MMGSY-228/2023 - 20

/पटना, दिनांक-08/01/25

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-ग्राम विकास-उप शीर्ष-0104, (अनुसूचित जाति) के लिए विशेष घटक के अन्तर्गत योजना के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ-10 में अंकित राशि के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-123/2018-962 /पटना, दिनांक-06.09.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अनुसूचित जाति) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, अरवल के अधीनस्थ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल-27 (सत्ताईस) अदद पथ योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। प्रासंगिक पत्र के क्रमांक-01 पर उल्लेखित पथ के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अनुसूचित जाति) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्य प्रमंडल, अरवल के अधीन कुल-01 (एक) अदद पथ योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ-10 में अंकित राशि के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है:-

Table- A

Sl No.	Division	Category	Block	Name of Road	Priority/ SL No. of Core Network	Revised Length (In km)	Total Population Served	Original Administrative Amount (In Lakhs)	Revised Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Arwal	SC	Arwal	Pheku Bigha To Payare Chak	411	0.750	980	47.140	66.760
Total						0.750			66.760

2. माननीय विभागीय मंत्री द्वारा निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

- (क) इन योजनाओं को 02 दो वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- (ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, अरवल योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (ग) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क/पूरक राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।
- (घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, अरवल सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
- (ङ) इस योजना के पंचवर्षीय रख-रखाव की राशि 3054 मद् से भारित किया जायेगा।

3. कार्यो का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाएगा।
4. सारणी में अंकित उक्त योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय, द्वारा संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-MMGSY-228/2023 के पृष्ठ-07/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।
5. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
6. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU)का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
(ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम-4-53/2007-12888/वि0, दिनांक-03.12.2024 में निहित निदेशो का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
(ङ) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
(छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-MMGSY-228/2023 पृष्ठ संख्या-14/टि0 पर दिनांक -31/12/2024 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-MMGSY-228/2023

- 20

/पटना, दिनांक- 08/01/25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/सम्बंधित कोषगार पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **औरंगाबाद**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **अरवल** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager/ IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव